न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/130/2025	2025/350	05.08.2025	08.10.2025

1–सुमन देवी पत्नी राकेश कुमार, निवासी ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1–संतोष पत्नी राजाराम निवासी ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
2–गुमानी उर्फ रामकंवार पुत्र मोहरलाल निवासी ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
3–राजस्थान ग्राम बैंक शाखा भौंकर जरिये शाखा प्रबंधक तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
4–उप पंजियक कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी अधिकारी) कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(असल अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते खैरथल–तिजारा (राज0)

उपस्थितः–

01. श्री सुनिल यादव –वकील प्रार्थी
02. श्री गिरधारी लाल शर्मा –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली सन्तोष बनाम गुमानी वगै0 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि उनवानी प्रकरण संख्या 97/2024 में दिनाक 27.05.2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्राथमिक पर्चा–डिक्री जारी की गयी है, प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पीठासीन अधिकारी पर धन, बल व राजनैतिक कृत्य से पीठासीन अधिकारी को अपने हक में फेसला पारित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान पहचान बना रखी है। जिससे प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा है, कि आगामी तारीख पेशी में प्रार्थी के विरूद्व कोई न कोई आदेश जरूर पारित किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई आदेश पारित किया गया तो प्रार्थी को न्याय नही मिल पायेगा। व प्रार्थी को आर्थिक व मानसिक हानी उठानी पड जावेगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की सभी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 को फायदा पहुचाने के उद्वेश्य से की जा रही है, ऐसे में पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थी के विरूद्व पारित एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री से ये साफ पता चलता है, कि अप्रार्थी संख्या 1 व पीठासीन अधिकारी की आपसी मिलीभगत है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को धमकी देता है, कि मैं पीठासीन अधिकारी को अच्छी तरीके से जानता हूँ मेरे उनसे अच्छे संबंध है, और में इस प्रकरण में अपने पक्ष में फेसला पारित करवाके ही रहूँगा। अत प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 97/2024 संतोष बनाम गुमानी दिगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस निवेदन किया गया है, कि तहत अदालत के द्वारा प्राथमिक पर्चा डिक्री दिनाक 27.05.2024 को विधिक प्रावधानुसार कार्यवाही की जाकर विधिवत निर्णय

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

पारित किया गया है, उक्त पारित निर्णय से प्रार्थी को कोई ऐतराज है, तो विधिक प्रावधानुसार सक्षम अधिकारिता वाले माननीय न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान है, वकील प्रार्थी द्वारा विधिक प्रावधानुसार कार्यवाही न करके प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने की नियत से गलत तथ्य अंकित कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यो पर तहत अदालत से जर्ये पत्राक 1124 दिनाक 06.08.2025 के द्वारा टिप्पणी तलब की गयी। किन्तु अपेक्षित टिप्पणी प्राप्त नही हुई। वकुलाय के निवेदन किये जाने पर प्रकरण की बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/ अप्राथी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथ्यो से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 97/2024 किस्म तकासमा धारा 53,188 आर.टी.एक्ट विचाराधीन है। तहत अदालत के द्वारा प्राथमिक पर्चा डिक्री दिनाक 27.05.2024 को विधिक प्रावधानुसार कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया है, उक्त पारित निर्णय से प्रार्थी को कोई ऐतराज है, तो विधिक प्रावधानुसार सक्षम अधिकारिता वाले माननीय न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान है। किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत की पत्रावली को दिगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही पर भी आक्षेप प्रकट किया गया है। तहत अदालत द्वारा उनवानी प्रकरण में विधिक प्रावधानानुसार विधिक प्रकिया के तहत कार्यवाही की गयी है। उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय को पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल–तिजारा (राज0)